न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 30 / 2019

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगणः–
1. श्रीमती दाकु देवी पत्नि श्री हेमारामजी, जाति मेणा, निवासी धींगाणा, तहसील रोहट, जिला पाली राजस्थान	1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, पाली तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

उपस्थितिः–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

–:आदेशः– दिनांक – 19-12-2019

1. प्रार्थीया ने निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम उतवण तहसील पाली के खसरा नंबर 269 / 1 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 269 / 1 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की भूमि में से आम रास्ते पर राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं होने से उक्त भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम उतवण के खसरा नंबर 269 रकबा 86 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 269 / 1 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल के पश्चिमी दिशा मे स्थित खसरा नम्बर 162 किस्म गैर मुमकिन रास्ता तक लम्बा रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी ने प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा बना कर प्रार्थना–पत्र के साथ में प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में आवेदित भूमि की जांच जरिये पत्रांक / कोर्ट / 2019 / 994 दिनांक 18–07–19 तहसीलदार, पाली से चाही गई। तहसीलदार, पाली ने जरिये पत्रांक / राजस्व / 2019 / 2751 दिनांक 21–08–2019 के द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया। तहसीलदार, पाली ने जांच रिपोर्ट में दर्शित किया है कि भू.अ.नि. बोमादडा एवं पटवारी हल्का बोमादड़ा से जांच रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट का अवलोकन किया। राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम उतवण के खसरा नम्बर 269 / 1 रकबा 9.12 बिघा किस्म बारानी अव्वल प्रार्थी की खातेदारी भूमि है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार खसरा नम्बर 269 के मौके पर जांच करने पर पाया गया कि वर्तमान में प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि मे आने जाने का रास्ता इसी सरकारी खसरा नम्बर 269 मे से ही है। तथा वर्तमान मे रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है प्रार्थी से जानकारी करने पर बताया कि मेरी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 269 / 1 भूमि का अपने खेत में कृषि कार्य हेतु आने जाने का स्थाई रास्ता चाहता है। नजरी नक्शा में अंकित लाल स्याही से दर्शायी गई ए से डी भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। खसरा नम्बर 269 जिसमें चाहा गया है भूमि पाली बोमादडा सड़क से रेल्वे पटरी के दूसरी तरफ है जिसकी उक्त सड़क से दूरी 200 फुट है खसरा नम्बर 269 मे से रास्ता हेतु चाही गई भूमि का रकबा

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

लम्बाई 30 फुट एवं चौड़ाई 30 फीट का कुल रकबा 0.05 बिघा भूमि बनती है भूमि की वर्तमान डी.एल.सी.दर 358173 रूपये प्रति बिघा है जिससे 0.05 बिघा भूमि की किमत 89543.25 रूपये बनती है व डीएलसी दर का दुगनी राशि 179087 रूपये बनती है।

3. बहस प्रा0पत्र उभयपक्ष की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने माफिक भू0अ0नि0, बोमादड़ा की जांच रिपोर्ट के अनुरूप एवं नजरी नक्शा के अनुरूप रास्ता दिये जाने का निवेदन किया तथा जो कीमत जमीन की है वे अप्रार्थी को देने के लिए तैयार है। सरकारी पैरोकार ने प्रार्थी को रास्ता हेतु भूमि दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

4. अतः तहसीलदार, पाली की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर जांच रिपोर्ट के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा को इस आदेश का भाग बनाया जाकर आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम उतवण में स्थित खसरा नंबर 269 में से लम्बाई 30 फीट एवं चौड़ाई 30 फुट का कुल रकबा 0.05 बिघा भूमि जांच रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शित अनुरूप भूमि आवेदक के खातेदारी भूमि तक जाने हेतु रास्ता के रूप में दिया जाता है। Rajasthan Tenancy (Government) (Amendment) Rule, 2012 के नियम 70 के तहत आदेश जारी होने की तारीख को प्रचलित डी.एल.सी. की दर, जिसे कृषि असिंचित भूमि ग्राम उतवण वर्तमान डी.एल.सी. दर 3,58,173/– अक्षरे तीन लाख अठावन हजार एक सौ तिहतर प्रति बीघा से 0.05 बिघा भूमि की कीमत 89543.25/– व दुगनी राशि 1,79,087/– अक्षरे (एक लाख उन्नासी हजार सतासी रूपये)प्रार्थी से तहसीलदार, पाली द्वारा राजकोष में जमा करवाने के पश्चात् तहसीलदार, पाली उक्त प्रस्तावित रास्ता, जिसे जांच रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत किया गया है, का राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में अंकन करवाया जायेगा। उक्त सार्वजनिक रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जायेगा न कि केवल प्रार्थी के अकेले के उपयोग हेतु। प्रार्थी को उक्त रास्ता का उपयोग करने से किसी भी व्यक्ति को रोकने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस आदेश एवं नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, पाली को माफिक आदेश पालना करने हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक-19-12-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2019.12.26 18:26:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: